नवभारत टाइम्स - 20/7/2016
NavBharat Times (hind) - 20/7/16

nbt.india

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया
फेज-II, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
दूरभाष : 011-26707700, फैक्स : 011-26121883
वेबसाइट www.nbtindia.gov.in, ई मेल office.nbt@nic.in

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों तथा देश के अन्य क्षेत्रों में द्वार तक सुपुर्दगी (डोर डिलीवरी) आधार पर एनबीटी **द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को ले जाने हेतु परिवहन सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत/परिवहन एजेंसियों/ट्रांसपोर्टरों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।** इच्छुक आवेदक संपूर्ण निविदा दस्तावेजों एवं अन्य विवरण हेतु एनबीटी की वेबसाइट **www.nbtindia.gov.in** देखें। इस संबंध में होने वाले किसी भी संशोधन/परिवर्तन/शुद्धिपत्र हेतु भी एनबीटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें। मोहरबंद निविदाएं उप-निदेशक (भंडार), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-II, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 को भेजें। निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 08.08.2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक है व इसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निविदाएं खोली जाएँगी।

davp 21103/11/0005/1617

संलग्नक–1

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़–II
वसंत कुंज, नई दिल्ली

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–II, वसंत कुंज, नई दिल्ली से भारत के सभी राज्यों तक पुस्तकों के परिवहन हेतु निविदा

नियम एवं शर्तें

1. संलग्नक–2 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में ही निविदाएँ जमा करवाएँ।
2. यदि निविदा का कवर सील एवं चिह्नित नहीं है तो न्यास इसके गुम हो जाने अथवा नियत समय से पूर्व खोले जाने हेतु ज़िम्मेदार नहीं होगा।
3. अपूर्ण निविदाएँ अस्वीकृत कर दी जाएँगी।
4. दरें इस प्रकार प्रस्तुत की जाएँ जिससे यह निर्दिष्ट हो कि दरों में सेवा कर व अन्य शुल्क शामिल हैं अथवा नहीं। प्रेषित की जाने वाली पुस्तकों की सुरक्षित सुपुर्दगी की ज़िम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी जिसमें जीआर में घोषित मूल्यों के अनुसार वाहक जोखिम शामिल है।
5. निविदाकर्ता दरों को आँकड़ों के साथ–साथ शब्दों के रूप में भी भरें। निविदा प्रपत्र अंग्रेजी में भरा जाए तथा सभी प्रविष्टियाँ पेन द्वारा लिखित अथवा टाइप होनी चाहिए। लिखी गई दरों में ओवरराइटिंग करने की अनुमति नहीं है, यदि कोई सुधार किया गया हो तो उसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाए।
6. यदि लिखी गई दरों के शब्दों तथा आँकड़ों में अंतर पाया जाता है तो शब्दों में लिखी राशि ही मान्य होगी।
7. जहाँ आवश्यक समझा जाए न्यास निविदाकर्ता से किसी भी पहलू पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि इसके परिणामस्वरूप निविदाकर्ता प्रस्तुत दरों में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. मोहरबंद निविदाएँ 08 अगस्त, 2016 को अपराह्न् 02:00 बजे तक उप–निदेशक (भंडार) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़–II, वसंत कुंज, नई, दिल्ली को भेज दी जाएँ।
9. निविदाएँ 08 अगस्त, 2016 को अपराह्न 03:00 बजे न्यास मुख्यालय, वसंत कुंज, नई दिल्ली में ही खोली जाएँगी। निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।

(19)

10. **निविदाकर्ताओं को ₹ 15000/– की अग्रिम राशि (प्रतिदेय) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट 'नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया' के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली के नाम देय हो। अपेक्षित अग्रिम राशि के बिना भेजी गई निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

11. निविदाकर्ताओं से प्राप्त की गई कोटेशन के आधार पर न्यास द्वारा विभिन्न राज्यों/गन्तवय स्थानों की परिवहन दरें तय की जाएँगी तथा ट्रांसपोर्टरों की स्वीकृति हेतु तय की दरों को निविदाकर्ताओं में परिचालित कर दिया जाएगा। निविदाकर्ताओं की स्वीकृति के पश्चात न्यास द्वारा ट्रांसपोर्टरों के पैनल की सूची को सुनिश्चित किया जाएगा, जिन्हें ऑर्डर–टू–ऑर्डर आधार पर परिवहन का कार्य सौंपा जाएगा।

12. **सूचीबद्ध ट्रांसपोर्टरों को जमानत राशि के रूप में ₹ 25,000/– (पच्चीस हज़ार रुपये) की एकमुश्त राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट 'नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के पक्ष में नई दिल्ली के नाम देय हो।** सूचीबद्ध ट्रांसपोर्टरों' द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि न्यास के पास अनुबंध की वैधता तक सुरक्षित रहेगी तथा अनुबंध की समाप्ति के पश्चात बिना किसी ब्याज के यह राशि वापस कर दी जाएगी।

13. यदि कार्य सौंपने के पश्चात ठेकेदार द्वारा अपना नाम वापस लिया जाता है अथवा वह निर्धारित समय के अंतर्गत आपूर्ति करने में असफल होता है अथवा यदि नियम एवं शर्तों के अनुसार आपूर्ति संतोषजनक नहीं पाई जाती तो ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि ज़ब्त कर ली जाएगी। ट्रांसपोर्टर को प्रेषित की जाने वाली पुस्तकों को एनबीटी गोदाम, वसंत कुंज, नई दिल्ली–70 से लेकर प्रेषण–पत्र में दिए गए निर्देशानुसार देशभर में द्वार–तक–सुपुर्दगी (डोर डिलीवरी) के आधार पर पहुँचाना होगा।

14. **निविदा हेतु किए गए अनुबंध की वैधता 03 (तीन) वर्षों के लिए होगी तथा प्रत्येक वर्ष आपसी समझौते पर इसे दोहराया जाएगा।**

15. पुस्तकों को लाने–ले–जाने, लादने तथा उतारने के दौरान पुस्तकों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी। यदि स्टॉक की क्षति अथवा नुकसान हुआ तो पुस्तकों का पूरा मूल्य ट्रांसपोर्टर से वसूला जाएगा। जीआर में घोषित पुस्तकों का मूल्य ही प्रेषित माल का मूल्य होगा।

16. **ट्रांसपोर्टर को प्रतिष्ठित बीमा कंपनी से घोषित मूल्य हेतु पारगमन–बीमा करवाना होगा जिसके लिए न्यास द्वारा बीमा–शुल्क का भुगतान किया जाएगा। बीमा रसीदें न्यास के पास जमा करवानी होगी।**

17. ट्रांसपोर्ट की जाने वाली पुस्तकों को चुंगी, टर्मिनल/टोल टैक्स आदि से छूट दी गई है।

18. यदि ट्रक पूरा लोड किया गया है तो भेजी जाने वाली पुस्तकें न्यास द्वारा ट्रांसपोर्टर को सौंपे जाने के अधिकतम 09 दिनों के भीतर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जानी चाहिए। अन्यथा जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों (गुवाहाटी एवं अगरतला के अलावा), अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में 15 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों (गुवाहाटी एवं अगरतला के अलावा), अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव में भेजी जाने वाली पुस्तकें अधिकतम 21 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। उत्तर–प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा जैसे स्थानों पर अधिकतम 07 दिनों के भीतर पुस्तकें पहुँच जानी चाहिए। यदि ट्रांसपोर्टर निर्धारित समय के अंतर्गत पुस्तकों को पहुंचाने में असफल होता है तो न्यास के पास यह अधिकार है कि वह मूल ट्रांसपोर्टर की लागत एवं जोखिम पर पुस्तकें भेजने की एक वैकल्पिक व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त पुस्तकें पहुँचाने में प्रत्येक दिन की देरी होने पर ₹ 1000/– का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

19. न्यास की संतुष्टि के अनुसार पुस्तकों के अच्छी एवं यथावत अवस्था में गन्तव्य स्थान तक पहुँचने तथा माल प्राप्त करने वाले से ली गई **विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित पावती व धर्मकांटा रसीद प्रस्तुत करने के पश्चात ही न्यास इसका भुगतान अपने दिल्ली स्थिति कार्यालय में करेगा। यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा धर्मकांटा रसीद जमा नहीं करवाई जाती तो एनबीटी कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई 'वज़न रिकॉर्ड शीट' को ही अंतिम माना जाएगा।**

20. ट्रांसपोर्टर द्वारा परिवहन हेतु प्रस्तुत की गई दरों में एनबीटी गोदाम तथा द्वार तक सुपुर्दगी पर माल को लादना तथा उतारना भी शामिल होगा।

21. न्यास किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को वापस लेने अथवा अनुबंध देने से पूर्व सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने व इसके परिणामस्वरूप प्रभावित निविदाकर्ताओं के प्रति किसी भी प्रकार की देयता से स्वतंत्र है।

22. भारत सरकार के नियमानुसार न्यास द्वारा स्त्रोत पर लागू आयकर की कटौती की जाएगी।

23. निविदाकर्ता को स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर), सेवा कर संख्या तथा अन्य प्रत्यय–पत्र का उल्लेख अवश्य करना होगा।

24. सभी अनसुलझे विवादों को सुलझाने हेतु वैधानिक क्षेत्र केवल दिल्ली/नई दिल्ली न्यायालय ही होंगे।

(राकेश कुमार)

उप निदेशक